फा. सं. 1(5)/2016-ई.II(ए)

**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**व्यय विभाग**

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

23 नवम्बर, 2016

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: स्थापना व्यय समिति।**

इस विभाग के 15 सितम्बर, 2016 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में, स्थापना व्यय समिति के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करने का एक प्रारूप निर्धारित किया गया है और इसके साथ संलग्न है।

2. ऐसे मामलों में, जहां प्रस्ताव मुख्यत: ऐसी स्कीम या परियोजना के लिए है जिसके लिए 5 अगस्त, 2016 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार व्यय वित्त समिति/सार्वजनिक निवेश बोर्ड का मूल्यांकन आवश्यक है और प्रस्ताव में नए निकाय का सृजन भी शामिल है, व्यय वित्त समिति/स्थापना व्यय समिति अथवा सार्वजनिक निवेश बोर्ड/स्थापना व्यय समिति की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है। उस मामले में, व्यय वित्त समिति/स्थायी वित्त समिति/सार्वजनिक निवेश बोर्ड के लिए निर्धारित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, नए निकाय के सृजन के संबंध में सूचना, स्थापना व्यय समिति हेतु प्रस्तावों के लिए निर्धारित प्रारूप में भी उपलब्ध कराई जाए।

3. संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का एकीकृत वित्त, स्थापना व्यय समिति/संयुक्त स्थापना व्यय समिति/स्थायी वित्त समिति/सार्वजनिक निवेश बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

4. इसे वित्त सचिव के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

पंकज

**(पंकज हजारिका)**

**निदेशक**

सेवा में

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

(ii) मंत्रालयों/विभागों के सभी वित्त सलाहकार।

(iii) नीति आयोग

(iv) आंतरिक परिचालन।

# स्थापना व्यय समिति के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

भारत सरकार

(प्रायोजक मंत्रालय/विभाग)

**ज्ञापन**

## स्थापना व्यय समिति के विचारार्थ प्रस्ताव

### 1. प्रस्ताव का विवरण

1.1 प्रस्ताव का नाम और संक्षिप्त वर्णन।

1.2 प्रस्ताव के उद्देश्य क्या हैं?

1.3 प्रस्तावित संगठन द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य, कार्यों का स्वरूप और प्रस्तावित अवधि।

1.4 समान प्रकार के कार्य क्या अन्य संगठनों, चाहे वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों के तहत हों या निजी क्षेत्र में, द्वारा भी किए जा रहे हैं?

1.5 नए निकाय के सृजन की आवश्यकता, और क्या निर्दिष्ट नीतिगत उद्देश्य किसी मौजूदा निकाय का पुनर्गठन करके अथवा किसी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय के कार्यक्षेत्र का विस्तार करके प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रस्ताव डिलीवरी के वैकल्पिक तरीकों के साथ-साथ उन विकल्पों की भी जानकारी दें जिन पर प्रस्ताव के कार्यक्षेत्र/कार्य-पद्धति को अंतिम रूप दिए जाने से पहले विचार किया गया है।

1.6 नए निकाय के सृजन का प्रस्ताव क्या किसी स्कीम का हिस्सा है अथवा यह एक परिपूर्ण प्रस्ताव है?

1.7 क्या यह व्यय सांविधिक अपेक्षा का परिणाम है? यदि हां, तो अपेक्षा का उल्लेख करें।

1.8 क्या साध्यता रिपोर्ट और/या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है?

1.9 क्या सैद्धांतिक अनुमोदन अपेक्षित है? यदि हां, तो क्या यह प्राप्त कर लिया गया है?

1.10 क्या प्रस्ताव तैयार करते समय हितधारकों और नोडल एजेंसियों से परामर्श किया गया है?

### 2. वित्तीय निहितार्थ

2.1 निर्धारित अवधि (वर्ष-वार और कार्य-वार दोनों) और इसमें होने वाले कुल व्यय; आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय का अलग-अलग और विस्तृत ब्यौरा दिया जाए। नियामक लागत-निर्धारण के लिए संदर्भ तारीखों के साथ इन लागत प्राक्कलनों (अधिमानत: ये एक वर्ष से अधिक पुराने न हों) का आधार भी दिया जाए।

2.2 परियोजना वित्त के स्रोत बताएं: बजट सहायता, आंतरिक और बजटेतर स्रोत, विदेशी सहायता आदि।

2.3 स्थापना, अन्य चालू और प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय, यदि कोई हो, सहित दस वर्षों का आवर्ती व्यय क्या होगा?

2.4 क्या संगठन राजस्व अर्जित करेगा? दस वर्षों के लिए आंतरिक राजस्व अर्जन के लक्ष्यों का वर्ष-वार ब्यौरा और उसका आधार प्रस्तुत करें।

2.5 क्या यह परिकल्पना की गई है कि संगठन अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर होगा और इसकी आत्मनिर्भरता की समय-सीमा? यदि नहीं, तो इसका विवरण और कारण।

2.6 आंतरिक संसाधनों से आवर्ती व्यय किस हद तक वहन किया जा सकता है जिससे सरकार पर बजट भार न्यूनतम हो?

2.7 वह अंतिम तारीख बताएं जिसके बाद सरकारी सहायता/निधियों के संवितरण की जरूरत नहीं होगी।

2.8 परियोजना के पूरा हो जाने के पश्चात् सतत् व्यवस्था, विशेषत: सृजित की जाने वाली परिसंपत्तियों के अनुरक्षण और रख-रखाव के लिए व्यवस्था का उल्लेख करें।

2.9 क्या इस परियोजना के लिए कोई निवेश-पूर्व कार्य किया गया था अथवा किए जाने का विचार है? क्या ऐसे किसी हस्तक्षेप की लागत परियोजना प्रस्ताव में शामिल की गई है? *[नए निकाय अथवा संस्थान के सृजन से संबंधित कोई भी निवेश-पूर्व कार्यकलाप व्यय विभाग के सैद्धांतिक अनुमोदन के बिना अनुमोदित नहीं किया जाएगा जब तक कि इस आशय की कोई विशिष्ट बजट घोषणा न हो]।*

2.10 भूमि अधिग्रहण किए जाने के मामले में, पुनरुद्धार/पुनर्वास की लागत सहित भूमि लागत का विवरण भी दिया जाए।

2.11 क्या परियोजना समय चक्र के दौरान मूल्य वृद्धि, लागत अनुमानों में शामिल की गई है और किस दर पर?

2.12 इस परियोजना में क्या कोई विदेशी मुद्रा घटक शामिल है, उसके लिए किया गया प्रावधान अथवा विनिमय दर जोखिम का संभावित प्रभाव?

2.13 क्या सरकारी निधि से अधिगृहीत/निर्मित भूमि और भवन आदि का स्वामित्व सरकार के पास होगा अथवा प्रस्तावित संगठन के पास?

## 3. परियोजना अवसंरचना

3.1 क्या प्रस्तावित अवसंरचना व्यवस्था जनशक्ति की आवास जरूरतों और सृजित की जाने वाली भौतिक परिसंपत्तियों के अनुरूप और निर्धारित मानदण्डों के अनुसार है। (अनुमान में प्रयुक्त मानक बताएं)।

3.2 यह पुष्टि की जाए कि प्रस्ताव में प्रस्तावित विभिन्न घटक/सुविधाएं न्यूनतम हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता।

3.3 अवसंरचना आवश्यकता को पूरा करने के लिए कौन से विकल्पों (उदाहरणत: खरीद/निर्माण/पट्टा आदि) पर विचार किया गया है, चुने गए विकल्प का औचित्य और क्या यह विकल्प आर्थिक रूप से सर्वाधिक व्यावहारिक है?

3.4 अवसंरचना सृजन में शामिल कुल व्यय, उसका विस्तृत विवरण और उसका वर्ष-वार चरण-निर्धारण। मानक लागत निर्धारण के लिए संदर्भित तारीखों के साथ इन लागत प्राक्कलनों के आधार भी बताएं।

3.5 यदि परियोजना में भूमि सुधार अथवा विद्यमान भूमि उपयोग योजनाओं में परिवर्तन सहित संरचनात्मक/इंजीनीयरी परिसंपत्तियों का कोई सृजन/संशोधन शामिल है, तो आपदाओं (प्राकृतिक और मानव-निर्मित) के निवारण और शमन पर आने वाली लागत पूरी तरह से परियोजना लागत में शामिल करनी होगी। संरचना के डिजाइन और इंजीनीयरी में मौजूदा भवन संहिताओं, बीआईएस संहिताओं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों, जीआरआईएचए के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा जाए। भारतीय सड़क कांग्रेस के मैनुअल, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्रालय के मैनुअल, रेलवे बोर्ड के मैनुअल, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनीयरी संगठन (शहरी विकास मंत्रालय) के मैनुअल, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के मैनुअल और केन्द्रीय जल आयोग के मैनुअल आदि जैसे अन्य स्रोतों का भी, जहां लागू हो, संदर्भ लिया जाए।

3.6 अवसंरचना को पूरा करने की प्रस्तावित समय-सीमा।

3.7 अवसंरचना की प्रति वर्ग फुट निर्माण लागत बताएं। विधिवत रूप से यह दर्शाते हुए कि यह लागत किस प्रकार इस क्षेत्र में और आस-पास के क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं की लागत के बराबर है, लागत के औचित्य की पुष्टि की जाए।

3.8 वह विधि जिससे अवसंरचना का सृजन कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है तथा वह एजेंसी जिसके माध्यम से इसका निष्पादन किया जाएगा।

3.9 परियोजना प्रबंधन/कार्यान्वयन एजेंसी (एजेंसियां) बताएं। किन-किन एजेंसी प्रभारों, यदि कोई हो, का भुगतान किया जाना है और एजेंसी के चयन का आधार क्या है? इन प्रभारों के औचित्य की पुष्टि की जाए।

## 4. मानव संसाधन

निम्नलिखित ब्यौरा दिया जाए:

4.1 प्रस्तावित संगठन की प्रशासनिक संरचना

4.2 विभिन्न श्रेणियों (वैज्ञानिक/प्रशासनिक/तकनीकी आदि) में अपेक्षित कुल जनशक्ति

4.3 इन पदों को अस्थायी आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव है अथवा स्थायी आधार पर

4.4 विभिन्न पदों के नाम और पदनाम

4.5 पदों के वेतनमान

4.6 पदों का ग्रेड/श्रेणी

4.7 कार्यात्मक औचित्य (प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग)

4.8 पदों के सृजन का वित्तीय निहितार्थ

4.9 यदि सेवाएं बाह्य स्रोतों से ली जानी हैं अथवा परामर्शदाताओं की सेवाएं भाड़े पर ली जानी हैं अथवा संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है, तो कुल संख्या और चयन की विधि सहित ब्यौरा दें।

4.10 जनशक्ति पर वार्षिक अनुमानित व्यय बताएं (क्या उपर्युक्त पैरा 2 में बताया गया है)

## 5. अनुमोदन और स्वीकृतियां

5.1 विभिन्न स्थानीय, राज्यीय और राष्ट्रीय निकायों के अनिवार्य अनुमोदनों/स्वीकृतियों की आवश्यकता और उनकी उपलब्धता सारणी के रूप में बताई जाए। यदि भूमि आवश्यक है, तो यह स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि क्या मंत्रालय/विभाग के कब्जे में वह भूमि ऋणभार अथवा किसी कानूनी मसले से मुक्त है?

| क्र. सं. | अनुमोदन/स्वीकृति | संबंधित एजेंसी | उपलब्धता (हां/नहीं) |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 6. निगरानी और मूल्यांकन

6.1 कृपया महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ-साथ कार्यकलापों की समय-सीमाएं भी बताएं।

6.2 कृपया एमआईएस और आंतरिक/सांविधिक लेखापरीक्षा व्यवस्था सहित निगरानी तंत्र का उल्लेख करें।

6.3 प्रस्तावित संगठन की बाह्य अथवा गहन समीक्षा के लिए स्थापित किया जाने वाला तंत्र और ऐसी समीक्षा की अवधि।

## 7. टिप्पणियां

7.1 मंत्रालय/विभाग के वित्त सलाहकार, नीति आयोग, व्यय विभाग तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां तालिका के रूप में दें और यह भी बताएं कि इस प्रस्ताव में सुधार करने के लिए उनका किस प्रकार समावेश तथा उपयोग किया गया है।

8. **पूरक सूचना, यदि कोई हो**

9. **प्रार्थित अनुमोदन**

(.....)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

तारीख:

टिप्पण 1: परियोजना के लिए तैयार की गई साध्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ विशेष सारांश भी प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाए।

टिप्पण 2: व्यय विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उसकी सॉफ्ट प्रति के साथ ज्ञापन की दो अतिरिक्त प्रतियां भी उपलब्ध कराएं।

टिप्पण 3: बैठकों में विचार-विमर्श के रिकॉर्ड/उनके कार्यवृत्त तैयार करने तथा परिचालन के संबंध में मंत्रिमंडल सचिव के दिनांक 29.03.2016 के अ.शा. पत्र सं.1/50/2/2016-कैब. में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जाए। स्थापना व्यय समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों का मसौदा व्यय विभाग को प्रस्तुत करते समय उसकी एक सॉफ्ट प्रति भी उपलब्ध कराई जाए।